छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के पांच सदस्यों के चुनाव के लिये आयोजित चुनाव के संबंध में

–:सभी अभ्यार्थी एवं मतदाताओ के लिए दिशा–निर्देशः–

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा दिनांक 05.12.2019 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के लिए पॉच सदस्यो का चयन किया जाना है। जिस हेतु कृपया इन बिन्दुओ का ध्यान रखें–

1. चुनाव में मतदान हेतु अंतिम तिथि 20 जनवरी 2020 को सांय 05.00 बजे तक है।
2. इस हेतु सभी मतदाताओ को उनके द्वारा पंजीयन के समय दिये गये पते पर कार्यालय द्वारा मतपत्र जारी किये जा चुके है।
3. प्रेषित लिफाफे में क,ख एवं ग तीन लिफाफा उपलब्ध है।
4. ''क'' लिफाफे में मतपत्र में अपना अभिमत चिन्हित कर बंद करें।
5. ''ख'' लिफाफें में बंद लिफाफा 'क' एवं घोषणा पत्र रख कर बंद करें । इस पत्र में मुख्यतः अनुक्रमांक, जो आपके मतपत्र में दर्शित है एवं निर्वाचक सूची में क्रंमाक, जो आपको प्रेषित लिफाफे में आपके पते के नीचे Serial Number के रूप में अंकित है, को दर्ज करना है। इसमें मुख्यतः यह घोषणा अंकित है कि ''मैने इस निर्वाचन के लिये किन्ही अन्य मतपत्रों पर हस्ताक्षर नही किये हैं''। इस पत्र में आपके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
6. ''ग'' लिफाफें में बंद ''ख'' लिफाफा डालकर बंद करें एवं इसे लिफाफे में बाहर अंकित समस्त जानकारियों के साथ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के कार्यालय में अंतिम तिथि के पूर्व प्रेषित करें।
7. जिन मतदाताओं के मतपत्र लिफाफा इस कार्यालय को बैरंग वापस प्राप्त हो रहे है उन मतदाताओ के लिये 16 जनवरी 2020 समय प्रातः 11.00 बजे से 20 जनवरी 2020 समय 04.00 बजे तक डूप्लीकेट मतपत्र कार्यालय में आवश्यक जॉच के बाद प्रदाय किये जायेंगें।
8. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य द्वारा चुनाव प्रक्रिया में गोपनीयता बरते जाने के सलाह दी गई है। इस हेतु यह लेख है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् इस चुनाव में पूर्ण रूप से पारदर्शिता, सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार मतपत्र में दर्शित सरल क्रमांक की गोपनीयता के संबंध में सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विशेष ध्यान रखा जायेगा।
9. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतपत्रों को जमा करने की संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। अतः आप सभी सदस्य अपनी सुविधा अनुसार कार्यालयीन समय प्रातः 11 बजे से 05 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अपना मतपत्र मत पेटी में डाल सकते है। सदस्यो के आग्रह पर पति/पत्नि के प्रकरण में एक अतिरिक्त मतपत्र डालने की अनुमति होगी।
10. मतगणना कार्य दिनांक 23 जनवरी 2020 प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ होगा एवं परिणामो की घोषणा उसी दिन किया जायेगा।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा के साथ।

(डॉ0 सुरेन्द्र पामभोई) 10/01/2020
रिटर्निंग ऑफिसर
छ.ग मेडिकल कौंसिल, रायपुर